प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल।
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 44 / 12–13
फहमीदा खातुन वनाम् विजय कुमार एवं अन्य

आदेश

9.10.12

आवेदिका फहमीदा खातुन पति मो० जाकिर हुसैन साकिन उसरी बाजार थाना मेहन्दिया जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर चिन्हित कराने का अनुरोध किया हैं विवादित भूमि जो ग्राम उसरी बाजार थाना नं० 173 थाना मेहन्दिया जिला अरवल में अवस्थित है निम्न है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
30 / 116	2876 / 2595,2596	8 डी० में से 2डी०	उ० रास्ता गली द० निज पू० मो०इदरीस वो एजाज प० मो० वली

वाद की प्रविष्टि की गई और विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत कर वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(1) विवादित भूमि आवेदिका की खरीदगी भूमि है जिसे आवेदिका ने दिनांक 13.04.04 को ग्यासुद्दीन मियॉ से निबंधित केवाला द्वारा क्रय किया है।

(2) क्रय करने के उपरान्त आवेदिका ने पॉच फीट दिवाल चारों तरफ बनाकर छोड़ दिया था जिसे प्रतिवादीगण ने तोड़ दिया है।

(3) यह जमीन पूर्व में हुकुमनामा मालिक देवकी प्रसाद सिंह से रीझन मियॉ वल्द गरज मियॉ को जनवरी 1941 में प्राप्त हुआ था, जिसका कुल रकवा 8 डी० था।

(4) रीझन मियॉ के चार पुत्र थे– वली अहमद,गयासुददीन मियॉ,स्व० अजीज मियॉ तथा चौथा पुत्र का नाम मालूम नहीं।

(5) रीझन मियॉ के चारों पुत्र के बीच खानगी ड्योढ़बंदी के आधार पर बॅटवारा हुआ और चारों पुत्र दो–दो डीसमल के अनुसार दखल काबिज हो गये।

(6) आवेदिका अपना धर बसाने के लिए गयासुद्दीन से 2 डी० भूमि खरीदगी की तथा खरीदगी के दिन से भूमि पर दखल काबिज तथा राजस्व रसीद कटवाने के लिए अंचल अधिकारी कलेर को आवेदन दे चुकी है

जिसका प्रकिया अभी लंबित है।

(7) विपक्षीगण जान बूझकर महिला को तंग व तबाह कर रहें है तथा 5 फीट उठा हुआ दीवाल को तोड दिया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित जमीन का नापी कराकर चिन्हित कराने का अनुरोध किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(1) आवेदिका का मकान सड़क के चार्ट में बना हुआ है जिसका जॉच अधिवक्ता आयुक्त से करायी जा सकती है।

(2) विवादित जमीन पर आवेदिका का कभी भी दखल कब्जा नही रहा है बल्कि विपक्षीगण के कब्जेवाली भूमि पर वाद लाने का काम किया है जो बिलकूल ही गैर कानूनी है।

(3) विपक्षीगण को उक्त भूमि भूपति के द्वारा हुकुमनामा के माध्यम से दी गई है जिसपर विपक्षीगण को हुकुमनामा मिलने के साथ ही वर्ष 1994 से ही दखल कब्जा में चला आ रहा है,जिसका खाता नं० 116 खेसरा नं० 2595 रकवा 4 डी० अंकित है और वर्तमान चौहद्दी उ० पक्की रोड़ द० निज विपक्षी पू० द्वारिका रजक प० गोपी सिंह अवस्थित मौजा उसरी थाना मेहन्दिया जिला अरवल है।

(4) उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का धूर गनौर वगैरह रखा हुआ है और शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है।

(5) विवादित भूमि का राजस्व रसीद प्रतिवादीगण के पक्ष में कट रहा है और डिमाण्ड भी प्रतिवादी के नाम पर है।

(6) उभय पक्षों का पंचायती नागरिक जन कल्याण परिषद शाखा उसरी की ओर से दिनांक 02.09.89 को की गई थी जिसमें वली मियॉ जो आवेदिका के ससुर थे,उनकों पंचों ने निर्देशित किया था कि अपने मकान से दक्षिण तरफ वर्षा का पानी गिरायेंगें,बाकि दिन का पानी दक्षिण तरफ नही गिरायेगें और दरवाजा भी दक्षिण तरफ नहीं खोलेगें। ताड़ के पेड़ से वली मियॉ को कोई वास्ता नही है।

(7)रीझन मियॉ जब 1941 में हुकुमनामा से भूमि प्राप्त किया तो जमीन्दारी रीटर्न, जमीन्दारी रसीद, बिहार सरकार का मालगुजारी रसीद वगैरह आज तक क्यों नही प्राप्त हुआ।

(8) आवेदिका का मकान सड़क चार्ट में है जिससे संबंधित अतिक्रमण का मुकदमा श्रीमान् के न्यायालय में लाया गया है जिसपर न्यायालय द्वारा जॉच रिपोर्ट की मॉग की गई।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बाद खारिज होने योग्य हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विवादित जमीन खाता116 खेसरा 2595 रकवा 8 डी० आवेदिका के श्वसुर रीझन मियॉ को बजारिये हुकुमनामा से प्राप्त है। आवेदिका ने ऐसा कोई कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि भूतपूर्व जमीन्दार ने उक्त भूमि के निश्वत जमीन्दारी रिटर्न दाखिल किया है और रसीद रीझन मियॉ के नाम से कट रही है। इस परिस्थिति में सादा हुकुमनामा की मान्यता नही दी जा सकती है। आवेदिका ने विवादित जमीन का 2 डी० को रीझन मियॉ के पुत्र गयासुद्दीन मियॉ से कय किया है। इस प्रकार कय की गयी जमीन पर आवेदिका को कोई अधिकार नहीं है,और विवादित जमीन का नापी नही कराया जा सकता है। अतः वाद को खारिज किया जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।